प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी दिशा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण (टी0जी0एस0) के निर्बन्धनों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, जैसा कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया था।

2. इस प्रतिवेदन में दो अध्याय है। अध्याय–1 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों के लेखों पर प्रेक्षण एवं टिप्पणियों सहित उनके क्रियाकलापों का संक्षिप्त परिचय है तथा अध्याय–2 में इन निकायों के निरीक्षण पर आधारित लेखापरीक्षा टिप्पणी है।

3- प्रतिवेदन में उद्धृत प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2004–05 के दौरान एवं उसके पूर्व के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा/निरीक्षण के क्रम में प्रकाश में आये थे। अप्रैल 2004 से मार्च 2005 की अवधि के 8 नगर निगमों, 45 नगर पालिका परिषदों एवं 30 नगर पंचायतों के लेखे व अन्य अभिलेख निरीक्षित किए गए थे। सभी 8 नगर निगमों, 38 नगर पालिका परिषदों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (अधिकार, सेवा एवं शर्तो) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अधीन सम्पादित की गयी थी।